

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::
मिसल नं. ::

मांगेराम पूनियां, R.T.S.
105/2017

सरकार

बनाम

राजेश पुत्र सुरजाराम, जाति-जाट,
निवासी- भावठड़ी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 15.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल राजेश पुत्र सुरजाराम, जाति-जाट, निवासी-भावठड़ी द्वारा रोही मौजा भावठड़ी की राजकीय भूमि ख.नं. 846 कुल रकबा 2.56 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है० भूमि पर फसल कपास काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस के अनुसार उसने अपने खेत में काशत कर रखी है जोहड़ भूमि पर उसका कोई कब्जा नहीं है। गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की, जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत् गिरदावर हल्का को लिखा जावे।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली एवं फसल निलामी हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 31 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 51- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़